

जिला खनन कार्यालय, नालन्दा, (बिहारशरीफ)

पत्रांक 799 / एम0, नालन्दा दिनांक 04/05/2024

सेवा में,

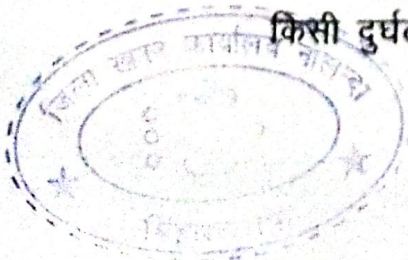
M/S H.S Engineers & Associates- Velji Ratna Sorathian Infra Pvt Ltd. JV
120, Block A, Areocity, Airport Road,
Mohali (Punjab)

विषय:- खनन योजना (Mining Plan) अनुमोदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नालन्दा जिलान्तर्गत थाना- करायपरशुराय, अंचल- करायपरशुराय, मौजा/ग्राम- बिन्सा खाता नं0- 77, 28, 65, 23, 38 खेसरा नं0- 546, 514, 553, 556, 507, 519 कुल रकबा 2.14 हेक्टेयर में लघु खनिज साधारण मिट्टी के खनन हेतु प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन संयुक्त सचिव सह निदेशक, बिहार पटना के पत्रांक-4156/एम0 पटना दिनांक- 27.12.16 के आलोक में निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन किया जा रहा है:-

1. खनन योजना का अनुमोदन 40460 घन मी0 साधारण मिट्टी के उत्पादन हेतु प्रथम वर्ष के लिए अनुमान्य किया गया है।
2. खनन कार्य से पूर्व सक्षम प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वीकृति की प्राप्ति एवं संबंधित जिला खनन कार्यालय में खनन रॉयल्टी, मालिकाना शुल्क एवं अन्य देय राशि जमा कर खनन की अनुमति संबंधी अनुज्ञापत्र लेना अनिवार्य है।
3. साधारण मिट्टी खनन की गहराई सतह से 1.5 मी0 गहराई से अधिक नहीं होगा।
4. खनन कार्य ग्राउन्ड वाटर लेबल से कम से कम 1.5 मी0 उपर तक ही सीमित रखा जाएगा।
5. प्रस्तावित उत्खनन की गहराई के कम से कम आधे के बराबर चौड़ाई रखने वाले सटे मैदानों की सीमा से पटरी छोड़ दी जाएगी।
6. साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन से संबंधित क्रियाकलाप में विस्फोटक का प्रयोग नहीं होगा।
7. खनन/उत्खनन संबंधी क्रिया-कलाप कार्य क्षेत्र के सामान्य जल निकासी के प्रतिरूप (पैटर्न) को परिवर्तित नहीं करेगा।
8. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा (पिट) को परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपयोगी प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए पुनः स्थापित किया जाएगा।
9. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा के चारों ओर समुचित घेराबंदी कर दी जाएगी, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके।



10. ढुलाई के दौरान खोदी गई/उत्खनित मिट्टी के फैलने से धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे।
11. साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन के कारण सृजित जल निकायों में रोगवाहकों (वेक्टर) के प्रजनन के कारण स्वास्थ्य खतरों के विरुद्ध सुरक्षा मानक अपनाये जाएंगे।
12. कामगारों/मजदूरों को पेय जल और सफाई संबंधी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
13. उत्खनन क्षेत्र की परिधि से किसी असैनिक संरचना की दूरी कम से कम 15 मीटर रखी जाएगी।
14. राष्ट्रीय पार्कों और वन्य प्राणी अभ्यारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के अन्दर उत्खनन के क्षेत्र के मामले में साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
15. खनन योजना में खनन कार्य बेंच बनाकर किया जाएगा जिसकी अधिकतम उँचाई 1.0 मी० एवं चौड़ाई कम से कम 3.0 मी० होनी चाहिए।
16. खनन योजना में वार्षित भूमि के स्वामिस्व तथा भूस्वामियों की सहमती से संबंधित अभिलेखों की पुष्टि करा लिया जाना अपेक्षित होगा।
17. खनन कार्य मानसून के समय में नहीं की जाएगी।
18. भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी गलती खनन योजना अथवा कार्य में पाई जाएगी तो खनन योजना स्वतः निरस्त माना जाएगा।



सहायक निदेशक,

खान एवं भूतत्व, नालन्दा।
05/05/24

